(32)

समक्ष माननीय राजस्व मंडल मध्यप्रदेश ग्वालियर

रा.प्र.क्रं. सन् 2014

R. 4076-I/14

आवेदक — ज्ञान चंद आत्मज स्व. श्री पूरन लाल खटीक (घनघोरिया) निवासी– चौथा मील ग्राम तिलहरी तहसील एवं जिला जबलपुर

एम. पी. तिवारी, अभि.
आज दि. 9-12-14 को

9-12-14

बनाम

अनावेदक — मध्यप्रदेश शासन द्वारा–

1– श्रीमान् जिलाध्यक्ष, जबलपुर

2– श्रीमान् अतिरिक्त जिलाध्यक्ष (प्रथम), जबलपुर जिला जबलपुर

9.12.14

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक निग. 4076–एक / 14 जिला – जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10–12–14	प्रकरण का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा ग्राह्यता के बिंदु पर दिए गए तर्कों पर विचार किया गया । प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि यह प्रकरण नगर भूमि सीमा अधिनियम का है, जिसके तहत सुनवाई का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं है । संहिता की धारा 8 के तहत मंडल अधीक्षण संबंधी शक्तियों का उपयोग उन मामलों में ही कर सकता है जिन पर मंडल अपीली अथवा पुनरीक्षण की अधिकारिता हो । जिन अधिनियमों के तहत सुनवाई का क्षेत्राधिकार राजस्व मंडल को न हो, उन अधिनियमों के तहत अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा की जा रही कार्यवाही के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 8 के तहत अधीक्षण शक्तियों का प्रयोग किया जाना ना तो न्यायिक है और ना ही विधिसंगत । अतः यह निगरानी सुनवाई का क्षेत्राधिकार न होने से निरस्त की जाती है । 2– उभयपक्ष सूचित हों । प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो । सदस्य	